

कार्यालय नगर पंचायत अमेठी जनपद अमेठी।

पत्रांक: 131 / न0प0अमेठी-निविदा सूचना / 2024 दि015 जून 2024

निविदा सूचना (अति अल्पकालीन)

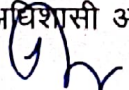
एतद्वारा निकाय के समस्त पंजीकृत फर्मों को सूचित किया जाता है कि नगर पंचायत अमेठी में राज्य वित्त/निकाय मद/संगठित विकास योजना की धनराशि से निम्नांकित कार्यों को कराये जाने हेतु निविदाये आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्रों को नगर पंचायत अमेठी जनपद अमेठी से दिनांक 15.06.2024 से दिनांक 21.06.2024 को 12:00 बजे तक प्राप्त कर दिनांक 21.06.2024 को 02:00 बजे तक प्रस्तुत किया जा सकता है। प्राप्त निविदाओं को दिनांक 21.06.2024 को 04:00 बजे खोला जायेगा। किन्ही कारणवश उक्त तिथि में अवकाश होने पर अगला कार्य दिवस माना जायेगा कार्य का विवरण अन्य जानकारी कार्यालय उपरोक्त से प्राप्त किये जा सकते हैं।

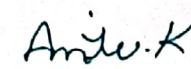
कार्यों का विवरण निम्नवत है:-

क्र0सं0	कार्य का नाम	मद	आगणन की धनराशि	टैण्डर/कोटेशन मूल्य	जमानत धनराशि
01	वार्ड नं 11 में विभिन्न स्थलों पर आर0सी0सी0 कवर एवं नाली मरम्मत कार्य	राज्य वित्त आयोग/निकाय मद/संगठित विकास योजना	4.58 लाख	458 रुपया	45800.00
02	वार्ड नं 06 में विभिन्न स्थलों पर आर0सी0सी0 कवर एवं नाली मरम्मत कार्य		4.11 लाख	411 रुपया	41100.00
03	वार्ड नं 09 में विभिन्न स्थलों पर आर0सी0सी0 कवर एवं नाली मरम्मत कार्य		4.23 लाख	423 रुपया	42300.00
04	नगर में विभिन्न विद्युत सामग्री की आपूर्ति का कार्य		कोटेशन दर	250 रुपया	
05	नगर में अधिष्ठापित विद्युत पोल पर स्ट्रिप लाईट आपूर्ति का कार्य			250 रुपया	
06	नगर पंचायत अमेठी जनपद अमेठी में कैमिकल आपूर्ति का कार्य			250 रुपया	
07	नगर पंचायत अमेठी जनपद अमेठी में विभिन्न स्थलों पर नाला सफाई कार्य		2.95 लाख	295 रुपया	29500.00

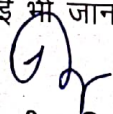
नियम एवं शर्त:-

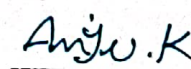
- निविदादाता प्रत्येक निविदा के साथ निविदा की धरोहर धनराशि, निविदा मूल्य की धनराशि, पंजीकरण प्रमाण पत्र नियत दिनांक तक पंजीकृत डाक अथवा व्यक्तिगत रूप से कार्यालय नगर पंचायत अमेठी, अमेठी को सीलबन्द लिफाफे में उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
- निर्माण कार्यों के सापेक्ष कराये गये कार्य का भुगतान, सक्षम अधिकारी द्वारा पालिका में उपलब्ध धनराशि के अर्न्तगत विवेकानुसार किया जायेगा और निविदादाता को इस पर आपत्ति करने का कोई हक हासिल नहीं होगा, के शर्तों/प्रतिबंधों के साथ निविदाये आमंत्रित किया जा रहा है।
- निविदा प्रक्रिया हेतु गठित समिति के संस्तुति के अनुसार निविदाओं का स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार अधिशासी अधिकारी/अध्यक्ष नगर पंचायत अमेठी, जनपद अमेठी को होगा।


अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत अमेठी
जनपद-अमेठी


अध्यक्ष
नगर पंचायत अमेठी
जनपद-अमेठी

4. निविदा दाता को कार्य के आगणन के सम्मुख 02 प्रतिशत जमानत धनराशि जमा करना अनिवार्य होगा बिना जमानती धनराशि से प्राप्त निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
5. निविदा स्वीकृति होने के उपरान्त 2 प्रतिशत धरोहर धनराशि के अतिरिक्त 8 प्रतिशत जमानत धनराशि जमा करने के उपरान्त ही अनुबन्ध गठित करने कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी।
6. कार्य समय सीमा के अन्तर्गत मानक एवं गुणवत्ता पूर्वक पूर्ण कराना अनिवार्य होगा।
7. निर्माण कार्य की गुणवत्ता त्रुटिपूर्ण होने पर शासनादेश सं०-989/23-9-99 ए०सी०/96 दिनांक 12 मई 1999 के अनुसार वसूली कर ली जायेगी।
8. अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता द्वारा कार्य की गुणवत्ता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
9. कार्य का निरीक्षण करने के उपरान्त गुणवत्तापूर्ण पाये जाने की दशा में भुगतान किया जाना सम्भव होगा।
10. भूतत्व खनिखर्म विभाग एवं कर्मकार उपकर विभाग के दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा।
11. उद्धृत दर में जी०एस०टी० शामिल है। जी०एस०टी० के अन्तर्गत वर्तमान में अथवा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों के अनुसार ठेकेदार से कटौती/भुगतान किया जायेगा।
12. किसी भी पंजीकृत ठेकेदार को ठेका दिये जाने के पश्चात कभी भी संज्ञान में आता है कि सम्बन्धित किसी नियम के अनुसार ठेका पाने के अर्नह था अथवा सक्रिय रूप से माफिया गतिविधियों, असामाजिक कार्यों एवं संगठित अपराधिक गतिविधियों में लिप्त है तो ऐसी दशा में प्रदान किया गया अनुबन्ध/ठेका निरस्त कर दिया जायेगा।
13. निविदा प्रक्रिया हेतु गठित समिति के संस्तुति के अनुसार किसी अथवा सभी निविदाओं को बिना कारण बतायें स्वीकृत/अस्वीकृत/निरस्त करने का अधिकार नगर पंचायत अमेठी जनपद अमेठी के सक्षम प्राधिकारी में निहित होगा।
14. ठेकेदार को हैसियत प्रमाण पत्र चरित्र प्रमाण पत्र, आयकर व जी०एस०टी० का पंजीयन प्रमाण पत्र लगाना अनिवार्य है।
15. निर्माण के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय-समय पर प्राप्त होने वाले अन्य आदेशों का पालन फर्म/कान्ट्रैक्टर को करना होगा।
16. इस योजना के अन्तर्गत कराये गये कार्यों में यदि गुणवत्ता खराब होने, अधोमानक होने तथा ठेकेदार की लापरवाही एवं तकनीकी त्रुटि के कारण टूटफूट होती है तो निर्माण कार्यों की पूर्णता की तिथि से 06 माह के अन्दर उसका रख-रखाव सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा किया जायेगा।
17. निविदा सम्बन्धी कोई भी जानकारी नगर पंचायत अमेठी कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

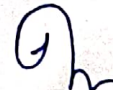

अधिशाली अधिकारी
 नगर पंचायत अमेठी
 जनपद अमेठी


अध्यक्ष
 नगर पंचायत अमेठी
 जनपद अमेठी

प्रतिलिपि:संख्या एवं तददिनांक तदैव

निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. विज्ञापन व्यवस्थापक दैनिक समाचार पत्र स्पष्ट आवाज/निर्वाण टाईम्स (द्वारा स्थानीय संवाददाता) को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन न्यूनतम शासकीय दरों में अपने आगामी अंक में कराते हुए बिल समाचार की तीन प्रतियों में कार्यालय को भिजवाने का कष्ट करें।
2. कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
3. श्री विपुल तिवारी को इस निर्देश के साथ नियत दिनांक पर औपचारिकताएं पूर्ण कर पत्रावली प्रस्तुत करें।
4. नगर में विभिन्न स्थलों पर चस्पा करने हेतु।


अधिशाली अधिकारी
 नगर पंचायत अमेठी
 जनपद अमेठी